पत्रांक – 128, दिनांक – 01/10/24

झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का कार्यालय,
3, आर्टिजन हॉस्टल, सेक्टर–03, धुर्वा, रांची।

अति–अल्पकालीन निविदा सूचना

झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं तीन उपाध्यक्षों हेतु चार(04) स्कार्पियो (ए.सी. सहित) वाहन किराये पर लिया जाना है। अतः ऐसे इच्छुक निबंधित आपूर्तिकर्ता जो नियत मासिक किराया पर आयोग द्वारा निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत वाहन उपलब्ध कराने में सहमत हैं, से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि– 08/10/2024 के 3.00 बजे अपराह्न तक है एवं उसी दिन निविदा समिति के समक्ष 3.30 बजे अपराह्न आयोग कार्यालय में ही निविदा खोली जायेगी, जिसमें निविदा कर्त्ता की उपस्थिति अनिवार्य है। आवेदन पत्र का प्रारुप एवं शर्ते आयोग के वेबसाईट(www.jsmc.co.in) से डाउनलोड किया जा सकता है, अथवा आयोग कार्यालय से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।

01/10/24

(मो० गुमताज अली अहमद)
सचिव,
झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
राँची।

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सह तकनीकी बीड का प्रपत्र

झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग कार्यालय के लिए बाह्य स्त्रोत से वाहन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं के लिए आवेदन पत्र।

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि............................ अपराह्न .... बजे तक

अवेदनकर्त्ता द्वारा भरा जायेगा

1. (क) आवेदक का नाम ....(कृपया आवेदक का आईडी तथा चालक लाईसेन्स, पासपोर्ट, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र बिजली बिल, आधार कार्ड में से कोई दो संलग्न किया जाय)
   (ब) पता...
   ....
   (स) दूरभास न०...
   (द) फैक्स न०...
2. पंजीयन संख्या/वर्ष...
3. जी० एस० टी०/सेल्स टैक्स न०..
4. आयकर पैन न०...
5. गतवर्ष में किये गये कार्यो का विवरण(यदि कोई हो) (कृपया प्रतियाँ सलंग्न की जाए)(वैकल्पिक)
   (अ) क्लाइन्ट्स का नाम एवं पता(सलग्न करें)
6. आवेदक की विधिक स्थिति(व्यक्तिगत/पार्टनरशिप)...
7. आवेदक के स्वामित्वाधीन मोटर स्कार्पियों(ए.सी. सहित) वाहनों की सं०......................

घोषण पत्र

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पत्रांक–............, दिनांक–.................. के अन्तर्गत आपूर्त्तिकर्ताओं हेतु आवश्यक निर्देश एवं ''समान्य नियम एवं शर्तो'' में विहित समस्त शर्तो का अवलोकन किया गया है और उसे भली प्रकार समझा हैं। मैं आयोग द्वारा निर्धारित शर्तो पर अपना वाहन देने के लिए सहमत् हूँ।

हस्ताक्षर
आवेदनकर्त्ता का नाम एवं
पता.......................................

Scanned with OKEN Scanner

निविदा की अनिवार्य शर्ते

1. निविदा दो लिफाफे में देना होगा।
2. एक लिफाफे में तकनीकी निविदा एवं दूसरे लिफाफे में वित्तीय बीड देना अनिवार्य होगा।
3. निविदा लिफाफों पर स्कार्पियो (ए.सी. सहित) वाहन किराया पर देने से संबधित निविदा एवं तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड लिखना होगा।
4. तकनीकी बिड के साथ झारखण्ड सरकार का जी० एस० टी० न०/आयकर पैन संख्या एवं पंजीयन न० का स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. तकनीकी बिड के साथ शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि उनका फर्म काली सूची में दर्ज नहीं है, एवं पुलिस/बिजिलेंस जाँच विचाराधीन नहीं है और न ही सक्षम माननीय न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए कभी दण्डित किया गया है।
6. कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करने की अपेक्षा की जाती है।
7. वित्तीय बिड में किराया दर शब्द एवं अंक दोनों में अंकित करना अनिवार्य है।
8. वाहन तीन वर्ष से पुरानी मान्य नहीं होगी।
9. निविदा प्रकिया के किसी भी स्थिति में निविदा रद्द करने का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित होगा।

हस्ताक्षर
आवेदनकर्त्ता का नाम एवं
पता.......................................

Scanned with OKEN Scanner

वित्तीय विड का प्रपत्र

झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं तीन उपाध्यक्षों हेतु चार(04) स्कार्पियो वाहन (ए.सी. सहित) योजना सह वित विभाग द्वारा निर्धारित ईंधन आपूर्ति के अन्तर्गत निविदा के माध्यम से बाह्य स्त्रोत से स्वीकृति प्रदान की गई। आयोग द्वारा गठित निविदा समिति ने निर्णय लिया है कि वाहन(ईंधन, चालक सहित) बाह्य स्त्रोत से लिया जाय। अतः इच्छुक निबंधित आपूर्तिकत्ताओं से स्कार्पियो– N वाहन (ए.सी. सहित) के मासिक किराया से संबंधित दर ईंधन, चालक सहित अंकित करने की अपेक्षा की जाती है। निर्धारित दर में चालक, रात्रि ठहराव, निबंधन, रोड टैक्स एवं रख–रखाव आदि सहित होगें।

प्रारुप

क्र०सं०	वाहन का नाम	मासिक किराया(ईंधन, चालक आदि सहित)
01	स्कार्पियो N (ए.सी. सहित)	

हस्ताक्षर
आवेदनकर्त्ता का नाम एवं
पता.......................................

Scanned with OKEN Scanner

निविदा की अन्य शर्ते

1. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा व्यावसायिक रुप से झारखण्ड राज्य के अर्न्तगत निबंधित वाहन उपलब्ध कराना होगा।
2. वाहन के मासिक विपत्र में नियमानुसार सेवा कर/GST सहित अन्य सभी करों के रुप में देय राशि का अलग–अलग उल्लेख करना होगा।
3. वाहन में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर आपूर्तिकर्त्ता को अविलम्ब उसी प्रकार के वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था दो घण्टों के अन्दर करनी होगी।
4. अनुबंध के समय आपूर्तिकर्त्ता को लिखित घोषणा पत्र समर्पित करना होगा कि चालक का भुगतान उनके द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
5. आपूर्तिकर्त्ता को एकरारनामा सम्पादित होने के साथ वाहनों की आपूर्ति करनी होगी यदि वाहनों की आपूर्ति करने में सक्षम नही होंगे तो अनुबंध/एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा।
6. यदि कोई वाहन चालक अपने कर्तवय पर उपस्थित नहीं है तो आपूर्तिकर्त्ता को उनके स्थान पर अविलंब अन्य किसी चालक की व्यवस्था करानी होगी। विलंब की स्थिति में प्रति घण्टा 100/–(एक सौ) रुपये की दर से भुगतान में कटौती की जाएगी।
7. आपूर्तिकर्त्ता को वाहन चालक को आवश्यक नगद राशि सुलभ कराना होगा ताकि वाहन में किसी प्रकार की आकस्मिक ,खरावी होने पर चालक द्वारा उसकी अविलंब मरम्मती कराया जा सके।
8. वाहन का उपयोग सामान्य कार्यालय कार्य के लिए किया जाएगा परंतु आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग कार्यालय अवधि के उपरान्त कार्य समाप्ति तक किसी भी समय (अवकाश के दिनों में भी) किया जा सकता है। वाहन की आपूर्ति 24 घंटे की उपलब्धता के आधार पर होगी।
9. वाहन अथवा वाहन चालक को बदलने से पूर्व उपयोग करने वाले पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के चालक एवं वाहन को नहीं बदला जाएगा।
10. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा भाड़े पर दिये गये वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी के आदेशनुसार संचालित होगें एवं पदाधिकारी के अधीन ही रहेगी।
11. वाहन छः माह अथवा वाहन क्रय होने तक, जो पहले हो, तक के लिए ली जाएगी। उपयोग करने वाले पदाधिकारी 15 दिनों की पूर्व सूचना पर एकरारनामा को समाप्त कर सकते है।
12. किसी वाहन के संतोष जनक परिचालन नहीं रहने पर आयोग को विपत्र से आवश्यक कटौती करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
13. वाहन उपयोग के दौरान वाहन चालक अथवा वाहन के किसी प्रकार के दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारणवश होने वाले क्षति का दायित्व आपूर्तिकर्त्ता की होगी।
14. भाड़े पर दिये जाने वाले वाहन तीन वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए साथ ही पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त एवं दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। वाहन यांत्रिक रुप से सही तथा सुरक्षित दशा में होना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

15. वाहन में किसी प्रकार की मरम्मती एवं रख–रखाव आपूर्तिकर्त्ता को स्वंय करनी होगी।
16. वाहन में साफ तौलिया, रेडियों, कार परफ्यूम, मोबाइल चार्जर तथा मानसून के समय वाहन में छाता की सुविधा आपूर्तिकर्त्ता को अपने व्यय पर उपलब्ध कराना होगा।
17. चालक का अद्यतन ड्राईविंग लाइसेंस, चारित्री एवं स्वस्थ होने संबंधी घोषणा आपूर्तिकर्त्ता को देना होगा।
18. वाहन से संबंधित सभी आवश्यक कागजात वाहन चालक के जिम्में होनी चाहिए। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन एवं कागजातों की जाँच होने पर दण्ड के द्वारा अधिरोपित शुल्कों की भुगतान की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी।
19. चालक का आचरण अपराध रहित होना चाहिए तथा उसे स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
20. चालक की सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर उपयोग करने वाले पदाधिकारी को चालक बदलने का अधिकार होगा।
21. ज्ञापांक–3296/वि० दिनांक– 15.09.2014 के द्वारा निर्गत वित विभाग के संकल्प एवं तत्संबंधी समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालनक करना होगा।
22. आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड द्वारा वाहनों के किराये से संबंधित निर्धारित दर अथवा कम दर अनुमान्य होगा।
23. आपूर्तिकर्त्ता को वाहन वार मासिक राशि भुगतान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में बीते माह का विपत्र प्रस्तुत करना होगा।
24. किसी वाहन के संतोषप्रद परिचालन नहीं होने पर उपयोग करने वाले पदाधिकारी को भुगतान में कटौती करने का अधिकार होगा।
25. वाहन वार मासिक विपत्र से अनुमान्य आयकर तथा सरकार को देय अन्य करों की कटौती नियमानुयार की जाएगी।
26. भविष्य में यदि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा बाह्य स्त्रोत पर रखे जाने वाले वाहनो का दर में संशोधन किया जाता है तो उसी दर पर वाहनों का भुगतान किया जायेगा।

नोट– नियम एवं शर्तो से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा राँची स्थित न्यायालय के अन्तर्गत होगा

Scanned with OKEN Scanner